न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 24/17 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2017/00123

उनवान

1. हरवीर सिंह पुत्र सीयाराम
2. बलवीर सिंह पुत्र सीयाराम
3. दीवान सिंह पुत्र सीयाराम

} जाति जाट निवासी नगला धरसौनी(अजीत नगर) तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. जीयेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
2. वीरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
3. रमन सिंह पुत्र रामप्रसाद
4. सुफेदी पत्नि रामप्रसाद

} जाति जाट निवासी नगला धरसौनी (अजीत नगर) तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 23.05.2017 प्रकरण संख्या 84/16 उनवान हरवीर सिंह बनाम जीयेन्द्र आदि

उपस्थित :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री राजेश सोगरवाल एवं शशि बंसल अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–26.02.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी में प्रार्थी अपीलाण्ट संख्या 01, 1/7, एव 02 व 03 6/7 हिस्सा सम्भाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। यह आराजी उन्हें उनके पिता स्व0 सीयाराम से उनके मरणोपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त की है। प्रार्थी संख्या 1 से 3 की बहिने व मॉ उनके हक में हकत्याग विलेख निष्पादित कर गयी हैं। खाता संख्या 263 जमाबन्दी संवत 2065 में वर्णित आराजी हिस्सा को प्रार्थीगण संख्या 02 व 03 ने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है। शेष वर्णित आराजी हिस्सा के प्रार्थीगण समभाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उनके पिता रामप्रसाद के पिता का नाम बृषफल रहा था। बृषफल के मरणोपरान्त उनकी पत्नि स्व0 मोहनकौर ने अपने देवर किशन के साथ धरेजा कर लिया था जहॉ उनसे तीन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वर्ष बाद प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री सीयाराम का जन्म हुआ था धरेजा के समय रामप्रसाद की उम्र 5 वर्ष रही थी और बृषफल के मरने के एक वर्ष बाद धरेजा किया गया था। चूंकि अप्रार्थीगण के पिता रामप्रसाद भी किशन के साथ ही रहने लग गये थे इसलिये उनकी बल्दियत गलती से बृषफल के स्थान पर किशन ही दर्ज होती चली आ रही है जबकि रामप्रसाद स्वयं किशन के पुत्र नहीं थे। राजस्व अभिलेख में जो खेवट या खातेदारी में आराजी स्व0 रामप्रसाद के नाम अंकित की है वह राजस्व कर्मचारियों ने गलती व मिल्लत से की है उन्हें किशन की विरासत का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहा है। चूंकि अप्रार्थीगण स्व0 किशन के आधार पर विवादित आराजी में आधा हिस्सा क्लेम कर रहे हैं और प्रार्थीगण की सम्पूर्ण खातेदारी होने से इंकार कर रहे हैं एवं धमकी दे रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी संपूर्ण अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। इसके किसी भाग से रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की पैतृक आराजी है जिसके पूर्व में अपीलाण्ट के पूर्वज श्री किशन मालिक एवं खुद काश्त होल्डर रहे थे। जिनके मरणोपरान्त उनसे यह आराजी अपीलाण्ट के पिता स्व0 सीयाराम ने तन्हा उत्तराधिकार में प्राप्त की है। वंशावली भी पेश की है। जिसके अनुसार रैस्पो0 के पिता स्व0 रामप्रसाद के पिता स्व0 वृषफल रहे हैं चूंकि विवादित आराजी से उक्त वृषफल का कोई संबंध नहीं रहा है। इसलिये जो इन्द्राज खातेदारी व काश्तकार उसके पुत्र रामप्रसाद के नाम दर्ज किये हैं वह आरंभ से ही शून्य हैं उनकी बल्दीयत किशन भी गलत अंकित रही है। इन महत्वपूर्ण तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। वृषफल का नाम संवत 2008 की जमाबन्दी में कही भी अंकित नहीं है। बृषफल के मरणोपरान्त उनकी पत्नि स्व0 मोहनकौर ने अपने देवर किशन के साथ धरेजा कर लिया था जहॉ उनसे तीन वर्ष बाद प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री सीयाराम का जन्म हुआ था धरेजा के समय रामप्रसाद की उम्र 5 वर्ष रही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हाल दस्तावेजो का अवलोकन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साविक रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया। रामप्रसाद सियाराम का पुत्र नहीं है। पारिवारिक विवाद है। ऐसी स्थिति में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित ही है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। वृषफल का पुत्र रामप्रसाद है। ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है। सिया व रामप्रसाद किशन के ही पुत्र हैं। मॉ को अपीलाण्ट एक ही स्वीकार करते हैं। विरासत का इंतकाल वर्ष 1996 में खुला। सजरा बना है जो राजस्व व सरपंच के द्वारा

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तैयार किया जाता है। सजरा नामान्तकरण पर दर्ज है। नामान्तकरण की कोई अपील नहीं की गयी है। काल्पनिक कहानी बनायी है। रामप्रसाद को पूरी उम्र तक किशन सिंह ने अपना पुत्र माना व कहा है। कही कोई चुनौती नही है। राजस्व रिकार्ड में रामप्रसाद पुत्र श्री किशन सिंह नाम दर्ज है। मतदाता सूची में भी यह ही नाम है। सरपंच का भी सजरा है। ऐसी स्थिति में रामप्रसाद को किशन सिंह का ही पुत्र माना जावेगा। राजस्व मण्डल राजस्थान ने भी स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1988 पेज 138, 1995 पेज 523, 1996 पेज 28, 1997 पेज 30, 1994 पेज 333, आरएलडब्ल्यू 2013(1) पेज 436, 2009(1) पेज 483, 2008(1) पेज 25 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विरासत नामान्तकरण संख्या 1204 निर्णय दिनांक 15.06.1995 के अनुसार विवादित आराजी रामप्रसाद के स्थान पर प्रतिवादी रैस्पो0 के नाम आयी हैं एवं उक्त नामान्तकरण में सजरा दिया हुआ है। परन्तु अपीलाण्ट ने उक्त नामान्तकरण की आदिनांक तक कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो। ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हो कि रामप्रसाद, वर्षफल का पुत्र हो एवं किशन सिंह का ना हो। बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन सारहीन हैं। वर्तमान में विवादित आराजीयात पर सीया पुत्र किशन सिंह 1/2 हिस्से पर एवं जीयेन्द्र सिंह , वीरेन्द्र सिंह, रमन सिंह पुत्रान रामप्रसाद व सुफेदी पत्नि रामप्रसाद हिस्सा बराबर 1/2 के खातेदार काश्तकार अंकित हैं। बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य हम एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित नहीं समझते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। यदि मौखिक साक्ष्य के आधार पर एक रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से प्रार्थी अपीलाण्ट के पक्ष में कोई मामला नहीं बनना मानते हुये, प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 23.05.2017 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर